



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1945 (श०)

(सं० पटना 738) पटना, मंगलवार, 12 सितम्बर 2023

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2023

एस० ओ० 238, दिनांक 12 सितम्बर 2023—श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा सहायक श्रमायुक्त को उप श्रमायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

तदनुसार स्तंभ-4 में वर्णित अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्तंभ-2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को स्तंभ-4 में वर्णित शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं।

क्र० सं०	सहायक श्रमायुक्त—सह—प्रभारी उप श्रमायुक्त	श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना	प्रत्यायोजित शक्तियाँ
1	2	3	4
1	मो० आफताब आलम सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर —सह— प्रभारी उप श्रमायुक्त, मुंगेर	1/श्रम विंस्था०(१) 10-10/2023, श्र०सं०-35, दिनांक-28.06.2023	(1) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा-20 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रतिकर आयुक्त (2) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा-3 के अन्तर्गत नियंत्रण प्राधिकार (3) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा-2 की कंडिका-(क) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण पदाधिकारी

2. सभी पदाधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के अंदर स्तंभ-4 में वर्णित प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
3. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 1/WC-10-09/2016-4961 / श्र०सं०)
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

11 सितम्बर 2023

एस० ओ० 238, दिनांक 12 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 1/WC-10-09/2016-4961 / श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आलोक कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

The 11th September 2023

S. O. 238 dated 12th September 2023—Through various notifications of Labour Resources Department, Assistant Labour Commissioner has been given additional charge of Deputy Labour Commissioner.

Accordingly, in exercise of the powers conferred under the Acts mentioned in Column-4, the Governor of Bihar is pleased to confer the powers mentioned in Column-4 to the officers mentioned in Column-2.

Sr. No.	Assistant Labour Commissioner-cum-In- Charge Deputy Labour Commissioner	Notification of Labour Resource Department	Delegated Powers
1	2	3	4
1	Md. Aftab Alam Assistant Labour Commissioner, Munger-cum- In-Charge Deputy Labour Commissioner, Munger	1 / श्रम विभाग (1) 10-10-2023, श्र०सं०-35, दिनांक-28.06. 2023	(1) Commissioner of Compensation under sub-section-1 of section 20 of the Employees' Compensation Act, 1923 (2) Controlling Authority under Section-3 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (3) Certification Officer under clause (a) and (c) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946

2. All the officers shall exercise the delegated powers mentioned in column-4 within their local limits.

3. This notification shall come into force from the date of publication in the Gazette.

(No. 1/WC-10-09/2016-4961/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,
ALOK KUMAR,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 738-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>